मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झॉसी

पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.
M.A.C.P. No.- 261 of 2019
1- श्रीमती गीता देवी अहिरवार पत्नी स्व. श्री रामलाल, आयु- 40 वर्ष
2- आशिक गौतम पुत्र स्व. श्री रामलाल, आयु- 22 वर्ष
3- अमन गौतम पुत्र स्व. श्री रामलाल, आयु- 19 वर्ष
4- श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री आशिक, आयु- 20 वर्ष, समस्त निवासीगण- ग्राम जेवर, तहसील- लिधौरा, थाना- टेहरका, जिला- टीकमगढ, हाल निवासी- बडागांव गेट बाहर, नारायन बाग चौराहा, मनोहर आरा मशीन के पास, थाना- कोतवाली, झांसी

----------------याचीगण

बनाम

1- के.आर.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि. D- 35A, लक्ष्मीपुरम, ट्रान्सपोर्ट नगर के पास, बहोडापुर, ग्वालियर (म.प्र.) (पंजीकृत स्वामी JCB वाहन संख्या- MP07DA1056)
2- किशनपाल सिंह पुत्र श्री ब्रतपाल सिंह, निवासी- ग्राम मलहूपुरा, धनौरा(अमरोहा) ज्योतिबाफुले, (उ.प्र.) नगर, 244231 (चालक JCB वाहन संख्या- MP07DA1056)
3- फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. नवम फ्लोर व्ही-बी-सी- सॉल्यूशन 47 एवं 49 बजुल्लाह रोड, टी नगर, चेन्नई (तमिलनाडू)- 600017 (बीमाकर्ता JCB वाहन संख्या- MP07DA1056)

----------------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा**
विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता- **श्री राजीव शर्मा**

लोक अदालत

दिनांक:10-07-2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याचीगण मय अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा एवं विपक्षी संख्या तीन बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.9,30,000/- के लिए राजीनामा हो गया है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याचीगण के हस्ताक्षर की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- तीन **फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की शिनाख्त उनके अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याचीगण **श्रीमती गीता अहिरवार, आशिक गौतम, अमन गौतम, श्रीमती लक्ष्मी** एवं विपक्षी संख्या- तीन **फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि०** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**9,30,000/-** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। उक्त राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि विपक्षी संख्या- तीन **फ्यूचर जनरली इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि०** निर्णय के तीस दिन के अन्दर इस न्यायाधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या- 36710001011924~~98~~ 89 (IFSC: PUNB0367100) में RTGC/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि में से याची संख्या- एक, दो, तीन एवं चार क्रमशः 45%, 20%, 25% एवं 10% भाग प्राप्त करेगे जिसमें से 1/2 भाग प्रत्येक याचीगण के बैंक खाते में जरिये RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जायेगा, जिसे याचीगण नकद प्राप्त करेंगे व 1/2 भाग की धनराशि बैंक की सर्वाधिक लाभकारी सावधि जमा योजना में तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा की जायेगी। उक्त निवेश पर कोई ऋण देय नहीं होगा न ही उन्हे कहीं बन्धक किया जा सकेगा।

Typographical error in A/c No.
corrected vide order dtd.26.7.21

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.20 17:33:15 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

PO
MACT JHANSI
26.07.2021

Digitally signed by CHANDRODAY
KUMAR
Date: 2021.07.26 19:11:06 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI